सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **54/2018** दायर दिनाँक **20.02..2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपालराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—39साल, जाति—मेघवाल, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रामेश्वर पुत्र बोदूराम, उम्र—65साल, 2. ग्यारसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल, उम्र—60साल, 3. बिरमाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—46साल, 4. बलदेवाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—33साल, 5. चेनाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—30साल, 6. हरीश पुत्र रामेश्वर, उम्र—24साल, 7. राधादेवी पुत्री रामेश्वर, 8. मन्जू पुत्री रामेश्वर, 9. सन्तोष पुत्री रामेश्वर, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री मो. इकबाल, वकील, वादी।
2. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 04 ता 09 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **16.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादी के माता—पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 09 वादी के भाई बहिन हैं।

शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 155 रकबा 39.18 बीघा, खसरा नम्बर 151 रकबा 15.12 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 08.08 बीघा, वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की है। उक्त भूमि वादी के दादा के कब्जाकाश्त की भूमि थी व वादी के दादा के एक ही

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 54 / 2016
दायर दिनांक 20.02.2016, निर्णय दिनांक 16.04.2016
[illegible]

सन्तान प्रतिवादी संख्या 01 होने के कारण खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उपर्युक्त खसरात की भूमि पैतृक सम्पत्ति रही है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/10 हक हिस्सा व खातेदारान शामिल रहा है।

मौकानुसार पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा मानते हुए अपने–अपने कब्जा की भूमि पर काबिज है परन्तु वादी व प्रतिवादीगण के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद होने से यह वाद बाबत् बंटवारा कानूनीतौर पृथक काश्तकार पेश है।

प्रार्थना वादी है कि–

खसरा नम्बर 156 रकबा 39.16 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 16.12 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 08.08 बीघा की भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति होने से व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा होने से उक्त खसरात की भूमि की खातेदारी की घोषणा की जावे।

उपर्युक्त खसरात की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के बीच कानूनीतौर पृथक काश्तकार में बंटवारा कर अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 व 10 बावजूद तामील्गी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 04 से 09 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री [illegible] ने की इकबाल व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री [illegible] ने की है। इसके बाद शामिल राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक पक्षकारान चाहते हैं कि– [illegible] खसरा नम्बर 156 रकबा 39.16 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 16.12 बीघा व खसरा नम्बर 154 रकबा 08.08 बीघा कुल रकबा [illegible] बीघा [illegible] रकबा का वादी व प्रतिवादीगण के बीच 1/10 – 1/10 हक हिस्सा संलग्न नक्शा/तकसीमनामा अनुसार घोषित किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नक्शा/तकसीमनामा अनुसूची 'अ', जमाबन्दी ग्राम [illegible] सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 276/[illegible] व जमाबन्दी ग्राम [illegible] सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 277/[illegible] पेश है।

विद्वान अधिवक्ता की [illegible] सुनी गयी। पक्षकारान ने जरिये अधिवक्ता आपस में राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान राजीनामा मुताबिक वाद डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

[illegible]
[illegible] (राजस्व)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 54/2018
दायर दिनाँक 20.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
गोपालराम बनाम् रामेश्वर, वगैरा।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके डाबड़ा के निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णितानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 155 रकबा 39.18 बीघा में से,** रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी 04 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 03.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 03.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 151 रकबा 15.12 बीघा में से,** रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 01.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 154 रकबा 08.08 बीघा में से,** रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 0.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 0.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 54/2018
दायर दिनाँक 20.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
गोपालराम बनाम् रामेश्वर, वगैरा।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **54/2018** दायर दिनाँक **20.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपालराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—39साल, जाति—मेघवाल, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामेश्वर पुत्र बोदूराम, उम्र—65साल, 2. ग्यारसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल, उम्र—60साल, 3. बिरमाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—46साल, 4. बलदेवाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—33साल, 5. चेनाराम पुत्र रामेश्वर, उम्र—30साल, 6. हरीश पुत्र रामेश्वर, उम्र—24साल, 7. राधादेवी पुत्री रामेश्वर, 8. मन्जू पुत्री रामेश्वर, 9. सन्तोष पुत्री रामेश्वर, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **16.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. इकबाल, वकील, वादी व श्री सैयद अल्ताफ हुसैन, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 04 ता 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके डाबड़ा के निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णितानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः—

1. **खसरा नम्बर 155 रकबा 39.18 बीघा में से,** रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी 04 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 03.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 03.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

2. **खसरा नम्बर 151 रकबा 15.12 बीघा में से,** रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 01.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 01.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 154 रकबा 08.08 बीघा में से,** रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 0.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 0.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner